

सात हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार

ट्यूबवैल कनेक्शन की वीसीआर ना भरने के नाम पर दस हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी

झुंझुनू, (निसं)। एसीबी टीम ने शुक्रवार को अजमेर डिस्कॉम के खेतड़ी नगर एईएन कार्यालय में कार्यरत लाइनमैन रामावतार को सात हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

एसीबी झुंझुनू के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि 26 नवंबर को भोदन निवासी परिवारी मुकेश गुर्जर ने शिकायत दी थी कि लाइनमैन टिकुपूरा ढाणा निवासी रामावतार उसे परेशान कर रहा है। वह उसके ट्यूबवैल कनेक्शन की वीसीआर ना भरने के नाम पर दस हजार रूपए की रिश्वत मांग रहा है,



लाइनमैन रामावतार।

जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया।

खेतड़ी नगर एईएन कार्यालय में एसीबी टीम ने रिश्वत मामले में कार्रवाई की

शिकायत के दौरान सात हजार रूपए में तय हुआ। तय हुए सौदे के अनुसार शुक्रवार को परिवारी मुकेश गुर्जर के पास लाइनमैन रामावतार रिश्वत की राशि लेने के लिए उसके खेत पर पहुंचा, जहां पर परिवारी ने रिश्वत की राशि दी तो तुरंत ही एसीबी की टीम ने सीआई

सुरेशचंद्र के नेतृत्व में रामावतार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में सामने आया है कि लाइनमैन परिवारी को लगातार डरा रहा था कि उसका जो ट्यूबवैल का कनेक्शन उस पर निर्धारित लोड से ज्यादा लोड काम लिया जा रहा है, जिसकी वीसीआर भरी जाएगी तो उसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वह लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर परिवारी ने एसीबी में शिकायत की थी। शनिवार को आरोपी लाइनमैन को जयपुर के विशेष एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कृषि कनेक्शन के बदले 45 हजार की रिश्वत ली थी, जांच में दोषी माना

बीकानेर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले साल जून में नोखा के साठिका गांव में कृषि कनेक्शन के बदले 40 हजार रूपए की रिश्वत लेने की जांच पूरी कर ली है। जांच में दो आरोपियों को दोषी माना जिनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। आरोपियों ने 50 हजार की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने प्रतिवाद किया तो मान रखने की कहकर 50 हजार की 45 हजार कर पांच हजार लौटा दिए।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय आदेश पर फर्म भावरिया कंस्ट्रक्शन को नोखा के साठिका गांव में परिवारी सीताराम प्रजापत के पिता

एसीबी ने पिछले साल जून में नोखा के साठिका गांव में कृषि कनेक्शन के बदले रिश्वत लेने की जांच पूरी की

मघाराम की जमीन पर कृषि कनेक्शन करना था। इसके लिए बिजली की लाइन डालकर ट्रांसफार्मर लगाना था। इसके लिए फर्म का काम करने वाले सीकर निवासी सुरेश कुमार बाजिया और रोहित मीणा ने 50 हजार रूपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने दो जून, 2023 को दोनों आरोपियों को 40

हजार रूपए की रिश्वत लेते टैप किया था। इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है। एसीबी ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और एएसपी महावीरप्रसाद शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। जांच में खास बात यह आई कि रिश्वतखोरों ने परिवारी से 50 हजार रूपए मागे और 45 हजार रूपए लिए। इसमें से मान-सम्मान के नाम पर पांच हजार रूपए वापस लौटा दिए थे।

नोखा में कुंभारंग गांव निवासी परिवारी सीताराम प्रजापत ने एक जून, 2023 को एसीबी की बीकानेर चौकी में रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता मघाराम के नाम साठिका गांव में

जमीन है। वहां कृषि कनेक्शन लेना था। इसके लिए जेबिबिलिनि से डिमांड नोटिस जारी हुआ जो जुलाई, 2022 में भर दिया। खेत में विद्युत लाइन डालने और ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश 28 फरवरी, 2023 को हुए। संबंधित फर्म ने यह काम अपने कार्मिक ठेकेदार सुरेश कुमार बाजिया और रोहित मीणा को सौंपा। उन्होंने इस काम के 50 हजार रूपए की रिश्वत मांगी। परिवारी ने इसकी शिकायत एसीबी में की। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। उसके बाद 2 जून को टैप की कार्यवाही की गई। एसीबी ने दोनों आरोपियों को 40 हजार रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

जयपुर में 1.47 करोड़ की लूट के बाद चूरू में हत्या करने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार

चूरू, (कासं.)। चूरू सदर थाना पुलिस ने जयपुर में 1.47 करोड़ रूपए की लूट के बाद चूरू में हत्या करने वाले मुख्य सरगना अमित कुमार उर्फ मितला को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव आईपीएस ने बताया कि मितला 15 हजार रूपए का इनामी आरोपी है। यादव ने बताया कि 2 नवम्बर 2024 को प्रेमचंद्र पुत्र ओमप्रकाश प्रजापत (45) निवासी बाई नम्बर 46 चूरू ने रिपोर्ट दी कि वह भतीजा नरेन्द्र प्रजापत के साथ पार्टी कर रात्रि के समय मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था। रास्ते में एक धार गाड़ी को रोड के बीच लगाकर मोटरसाइकिल को रूकवाकर आरोपी अमित उर्फ मितला, शुभम ढाका व उसके साथियों ने लाठियों से मारपीट कर नरेन्द्र की हत्या कर फरार हो गये। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकन्ध दारदरवाल आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू, सुनिल कुमार झाड़ाड़िया आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त चूरू के निरकटम सुपरविजन में बलवन्त सिंह उर्फ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू ने थाना स्तर पर टीम का गठन किया। अलग-अलग टीमों द्वारा हत्या के मुख्य सरगना आरोपी अमित कुमार उर्फ मितला की सीसीटीवी फुटेज व



चूरू सदर थाना पुलिस ने चूरू में हत्या करने वाले मुख्य सरगना अमित कुमार उर्फ मितला को गिरफ्तार किया।

लोकेशन के आधार पर रूट मैप बनाकर जयपुर, सीकर, फतेहपुर, जोधपुर, नागौर में अलग-अलग स्थानों पर दबीश की गई। साइबर सैल व मुखबिर के सहयोग से आरोपी अमित कुमार के भिवण्डी (महाराष्ट्र) में छुपने का पता लगने पर वहां पर दबीश दी गई, मगर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने लगातार पीछा करके आरोपी अमित

कुमार उर्फ मितला पुत्र योगेन्द्र जाट निवासी बृटिया पुलिस थाना सदर चूरू को फतेहपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमित कुमार उर्फ मितला जयपुर में 1 करोड़ 47 लाख रूपए की लूट करने के बाद वहां से फरार हो गया था। फरार होने के बाद पूर्व की रंजीश को लेकर चूरू आकर नरेन्द्र प्रजापत की

15 हजार रूपए के इनामी आरोपी मितला ने दो नवम्बर को चूरू के नरेन्द्र प्रजापत की हत्या की थी

फरारी के दौरान अमित कुमार उर्फ मितला पुष्कर व मुम्बई में जाकर भीख मांगने लगा था

हत्या की और फरार हो गया। आरोपी अमित कुमार अपनी फरारी के दौरान पुष्कर व मुम्बई में जाकर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। वह अपना हुलिया बदलकर पुलिस को शक ना हो इसलिए भिखारियों के बीच ही सोने लगा। इसकी गिरफ्तारी में साइबर सैल चूरू के रमाकान्त कानि, की विशेष भूमिका रही। पुलिस थाना सदर चूरू टीम में बलवन्त सिंह उर्फ थानाधिकारी, सज्जन कुमार हेड कानि, नवीन साइबर सैल, सज्जीत कानि, शामिल रहे। आरोपी अमित कुमार पर आर्म्स, पॉक्सो, लूट, हत्या आदि सहित 12 प्रकरण दर्ज हैं।

बदमाशों ने 24.65 लाख रुपये से भरे एटीएम को गैस कटर से काटा, लूट का प्रयास विफल

पुलिस गश्त की भनक लगते ही भाग छूटे बदमाश, एटीएम पर तैनात सुरक्षा गार्ड पास की ही दुकान में सो रहा था

सिकरारा, (निसं)। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गोजगढ़ कस्बे में बीती रात को अज्ञात बदमाशों द्वारा एसीबीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर के काटकर लूट का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस गश्त को देखकर बदमाश भाग गए। इससे एटीएम मशीन में रखे 24.65 लाख रूपए लूट से बच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो, इसे लेकर बदमाशों ने एटीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों पर कालिख लगा दी।

गोजगढ़ चौकी प्रभारी सोबरन सिंह ने बताया कि रात्रि करीब तीन बजे कस्बे के मुख्य बाजार में लगे एसीबीआई बैंक के एटीएम को लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश गैस कटर व अन्य उपकरण लेकर पहुंचे। बदमाश इतने शांति थे



दौसा से आई एमओबी व एफएसएल की टीम सहित पुलिस ने साक्ष्य जुटाए।

कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर कालिख लगा दी, जिससे उनके चेहरे कैमरे में कैद नहीं हो सके। उन्होंने

एटीएम मशीन कक्ष के ताले की कुंजी काटकर शटर खोल दी, जिसके बाद एटीएम को काटकर कैश लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे। उसी

वक्त पुलिस टीम गश्त कर रही थी, जिसे देखकर चोर मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान एटीएम पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी पास की ही दुकान में

शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी

करौली, (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित मासलपुर चुंगी क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की रात्रि को एक परचून की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण दुकान में रखा हजारों रूपए का माल और एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सिग्मा कॉन्स्टेबल जगराम ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के इलाके में बड़ा नुकसान होने से बच गया। फायरमैन राज गुर्जर ने बताया कि मासलपुर चुंगी क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से राहत बचाव कार्य शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा हजारों रूपए का सामान पूरी तरह जल गया। इस दौरान बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में भी आग लग गई। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक गुड्डू और आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

दहेज हत्या मामले में सास-ननद को 7-7 साल की सजा

दहेज हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनवाई की

आरोपियों के खिलाफ 23 गवाहों के बयान हुए

कोटा, (निसं)। दहेज हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी सास व ननद को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। मामले में महिला उत्पीड़न क्रम दो के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गोदल्याहेड़ी निवासी सास कमला बाई और ननद देवकी को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र मिश्र ने बताया कि 24 अक्टूबर 2016 को फरियादी इटोडा गांव निवासी सत्यनारायण ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि उसकी बड़ी बहन उषा की शादी तीन वर्ष पहले गोदल्याहेड़ी निवासी गजानन उर्फ लड्डू लाल के साथ हुई थी। रिपोर्ट में कहा

कह पाई और किसी से कुछ कहे बिना ससुराल चली गई। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसकी बहन को देवर का फोन आया था कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया कि उसको शक है कि उसकी बहन को जहर देकर या गला घोटकर मारा गया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 304-बी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी, 34 आईपीसी के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 23 गवाहों के बयान हुए। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी सास कमला बाई और ननद देवकी को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई

दहेज हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनवाई की

भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों का बोर्ड मीटिंग में हंगामा

चौमू/कालाडोरा, (निसं)। शुक्रवार को नगरपरिषद चौमू की साधारण सभा की बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षदों ने भारी हंगामा किया। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई भाजपा पार्षदों ने पूर्व में किए गए विकास कार्यों में जैसे सड़क, नाली, तिरंगा लाइट, स्टीट लाइट लाइट

जैसे ही मीटिंग शुरू हुई भाजपा पार्षदों ने पूर्व में किए गए विकास कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ सभापति से जवाब मांगा



नगरपरिषद चौमू की साधारण सभा की बैठक में पार्षदों ने हंगामा किया।

सहित अन्य कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ सभापति से जवाब मांगा। इससे पहले भी भाजपा पार्षदों ने स्वायत्त शासन विभाग में शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता को निर्लिखित कर दिया था। इसी तरह पूर्व में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें हुई थी। इसके

बावजूद नगर परिषद में खराब गुणवत्ता की सड़कें बनायी जा रही हैं व राजकीय कोष का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा पार्षद गजेन्द्र यादव ने बताया कि सभापति द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में जब चौमू विधायक शिखा मील बराला से सवाल किया कि आपकी सहमति से सभापति भ्रष्टाचार

कर रहे हैं क्या? अगर नहीं, तो आप द्वारा शिकायतों के आधार पर इसमें नकेल क्यों नहीं कसी गई है। चौमू विधानसभा क्षेत्र में इस समय विधायक, सांसद व सभापति सहित नगरपरिषद में कांग्रेस का बोर्ड है। आपको इस संबंध में जनता को जवाब देना चाहिए, लेकिन सभापति ने विधायक शिखा मील बराला की चुप्पी

भी आशंका पैदा करती है। साथ ही पार्षद राहुल शर्मा ने तिरंगा लाइट का मामला प्रमुखता से उठाया। साथ ही संदीप शर्मा, बाबूलाल यादव, बाबूलाल सैनी, मुकेश सिद्ध, सुनील अग्रवाल, मातादीन अग्रवाल व अनिता कुमावत सहित अन्य पार्षदों ने भी अपनी वाई की समस्याओं को लेकर हंगामा किया।

नीट पीजी दाखिले की अंतिम सूची पर हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट (पीजी) 2024 को अस्थायी राज्य मेरिट लिस्ट में हुई तकनीकी गलती को लेकर राज्य के काउंसिलिंग बोर्ड को अगले आदेश तक राज्य कोर्ट के तहत चिकित्सा पीजी पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के दाखिले की सूची को अंतिम रूप देने से रोक दिया है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में 45 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कैलाश जागिड़ तथा मोहनसिंह शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अधिक अंक मिले थे। वे मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान पर थे लेकिन काउंसिलिंग बोर्ड उन्हें कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से नीचे रख रहा है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर, 2024 को जारी की गई अस्थायी राज्य मेरिट लिस्ट में तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटियां हैं। इसके कारण गलत उम्मीदवारों को दाखिले का अंतिम सूची जारी करने से रोका गया है।

त्रुटियों को ठीक करने के लिए काउंसिलिंग बोर्ड को सात दिन का समय

मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की गई है

हाईकोर्ट ने याचिका में दी गई जानकारी को पुष्टि करते हुए पाया कि याचिकाकर्ताओं के आरोपों में आधार है। पीठ ने काउंसिलिंग बोर्ड को सात दिन का समय दिया है ताकि वह मामले की जांच कर त्रुटियों को ठीक कर सके। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। तब तक राज्य के काउंसिलिंग बोर्ड को नीट (पीजी) कोर्स 2024 के उम्मीदवारों के दाखिले की अंतिम सूची जारी करने से रोका गया है।

राजस्थान सरकार
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत
ई-निविदा 22/2024-25
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा Bio Control Lab Equipment for Dr. BRC ARS, Mandor की खरीद के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
UBN No.: JAU2425GLOB00156 EPROC ID: 2024_AGUDJ_432706_1
नियंत्रक(चित्त)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No.: F-2(01)Acct/Contract/2024-25/177-179 Date: 27/11/2024
ई-निविदा संशोधन सूचना
प्राधिकरण द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या: 43/2024-25 के कार्य संख्या-02 की तिथियों में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधन किया गया है, ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड एवं EMD, Tender Fee & Processing Fee Online दिनांक: 05-12-2024 को सांय: 6.00 बजे तक जमा की जा सकेंगे एवं दिनांक: 06-12-2024 को प्रात: 11.00 बजे खोली जावेगी। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
अधीक्षक अभियन्ता - वृत्त उदयपुर विकास प्राधिकरण
Raj.Sanwad/C/24/8491

BIKANEER TECHNICAL UNIVERSITY
Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004
Ref. No.: BTU/EXAM/2024/23374 Date: 27/11/2024
Notice Inviting Bid
Bikaner Technical University invites following bids:
Sr. No. Particulars Estimated Cost NIB No. UBN No. Last Date & Time
1. Printing and Distribution of Theory and Practical Answer Books. 28.00 Lacs BTU2425 A0002 BTU2425 GLOB00002 07.12.2024 up to 5:00 PM.
Others particulars of the bids can be found on the procurement portal <https://eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.rajasthan.gov.in of the state and Bikaner Technical University website www.btu.ac.in.
Raj.Sanwad/C/24/8484 (COE)

RAJASTHAN STATE TEXT BOOK BOARD
2-2A, Jhalana Durgri, Jaipur, Phone: 0141-2700540, 9121137, 2703657 Fax: 0141-2710362
No.: F-7/Production/RSTB/24-25/6264 Date: 28.11.2024
Notice Inviting Bid
E-Bids are invited for Job work of printing of Books having following details:
S. No. Bid No. Particulars Specifications Bid Value (in Crore) Last Date & time of submission UBN
1 338 Printing of Books Sheet offset Printing 40.00 18.12.2024 (6:00 PM) TBB2425SLRC 00062
2 339 Printing of Books Web Offset Printing 20.00 18.12.2024 (6:00 PM) TBB2425SLRC 00063
Details of the bids may be seen on the procurement portal <https://eproc.rajasthan.gov.in> and [https://sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in)
Raj.Sanwad/C/24/8513 Secretary

कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-घौलपुर
क्रमांक-2070-2082 दिनांक-25.11.2024
अपकालीन निविदा सूचना संख्या- 03/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड घौलपुर के अधीन अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, जिला घौलपुर (दोष निवारण अन्वेषी 06 वर्ष सहित) के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत साठको/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/हाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्चरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करके अपना आवेदनक है।
NIB NO. PWD2425A2907, UBN NO. PWD2425WSOB10654
अधीक्षक अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त घौलपुर
DIPR/C/11915/2024